

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 97

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 23-01-2023

विप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र श्री ताजाराम  
जाति जाट निवासी बांकनाडी,  
बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाडमेर)

1. डूंगराराम पुत्र मूलराम वगैरा 22,  
जाति जाट, निवासी मिठियातला  
बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 390 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मीठियातला, पटवार मण्डल - बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 880 / 766, 882 / 766 रकबा क्रमशः 0.4854, 2.9205 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

23/1/2023

(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक 23-01-2023

क्रमांक : वाद / 2022 / 98-102

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ओमप्रकाश दत्तक पुत्र श्री ताजाराम
4. विप्रार्थी श्री डूंगराराम पुत्र मूलराम वगैरा 22,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाडमेर